हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने देश के पश्चिमी भाग में बगीचों में पाइप से सिंचाई करने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन पीटर हार्डन बिना किसी चिंता के पाइप से सिंचाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास ढेर सारा पानी जमा है। वर्ष 1976 में पड़े अकाल के बाद से पीटर अपने घर में बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर में बड़े-बड़े टैंक बनवाए जिनमें बारिश का पानी एकत्रित होता है। इस समय उनके पास 6000 लीटर पानी जमा है। इसलिए आस-पास की तुलना में उनका आहाता सबसे ज्यादा हरा-भरा है। बयासी वर्ष के रिटायर्ड टीचर, पीटर को बागबानी का बहुत शौक है। यह देखते हुए कि यू.के. में सूखे की समस्या बढ़ती जा रही है, पीटर बहुत चिंतित थे। एक बार जब पीटर अपनी पत्नी के साथ यूरोप घूमने गए तो वहां उन्हें रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की प्रेरणा मिली। पीटर कहते हैं कि "प्राचीन यूनान व रोमन शहरों में हमने भूमिगत सिस्टर्न्स (कुण्ड) देखे, जिनसे हमें काफी प्रेरणा मिली। रोमन लोग सिस्टर्न्स में बारिश का पानी एकत्रित करते थे, जो कि घोर गर्मी के दिनों में काम आता था। इससे प्रेरणा लेकर मैंने रेनवॉटर एकत्रित करने के लिए बड़ा-बड़ी टंकियाँ लगानी शुरु कर दीं।" पन्द्रह साल पहले तक उनके पास 375 लीटर क्षमता की नौ टंकियां थीं, जिनमें उनके बंगले के पाइपों से सीधे पानी एकत्रित होता था। पीटर असल में यू.के. के सबसे शुष्क क्षेत्र में रहते हैं, यहां जमीन में चूना -पत्थर है जो पानी सोखता तो है पर जब सूखा पड़ता है तो जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। इस बार भी यह क्षेत्र भयंकर सूखे का सामना कर रहा है इसलिए यहां सिंचाई के लिए पाइप का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।

'दो ही नारे लगेंगे, अगर इनके अलावा कोई नारा लगा तो पुलिस उठाकर ले जायेगी'

मु.मंत्री के सलाहकार नागर के क्षेत्र में पायलट समर्थकों की भरमार, इसी डर से मंच से धमकाया क्षेत्र के लोगों को

जयपुर, 13 सितम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में मंत्री और विधायकों के प्रति आम जनता में भारी विरोध नजर आने लगा है। इस विरोध के चलते मंत्री-विधायकों का डर भी दिखने लगा है। इस डर का नजारा तब दिखा जब मुख्यमंत्री के मंच से मुख्यमंत्री के सलाहकार ने आम जनता को नारे लगाने के नाम पर डराया और कहा कि यदि उनके कहे अनुसार नारेबाजी नहीं हुई तो पुलिस उठा ले जाएगी और सरकारी मुकदमे कर दिए जाएंगे।

दरअसल यह वाकया है दूदू विधानसभा क्षेत्र का, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जिस मंच से भाषण देने वाले थे, उसी मंच से स्थानीय निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर ने लोगों को धमकाते हुए कहा कि सिर्फ दो ही नारे लगाए जाएं और उसके अलावा कोई और नारा लगाया

- **दो नारे जो नागर लगवाना चाहते थे, वो हैं, राजीव गांधी अमर रहें तथा अशोक गहलोत जिंदाबाद।**

गया तो पुलिस उठा ले जाएगी। मुकदमे लग जाएंगे।

दरअसल बाबूलाल नागर का डर था कि जिस तरह से सिकराय में ममता भूपेश और जोगिंदर अवाना का विरोध हुआ और पुष्कर में मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना का विरोध हुआ, वैसा ही विरोध प्रदर्शन कहीं मुख्यमंत्री की सभा में भी ना हो जाए। इसलिए बाबूलाल नागर ने अपने ही क्षेत्र की जनता को धमकी भरी भाषा में समझाने का प्रयास किया।

बाबूलाल नागर ने सभा में लोगों को साफ कहा कि सभा में राजीव गांधी अमर रहें और अशोक गहलोत जिंदाबाद के ही नारे लगाने हैं।

नागर ने धमकाते हुए कहा कि अगर किसी ने तीसरा नारा लगा दिया तो पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे और सरकारी केस बन जाएगा। विधायक नागर के मन का डर उनकी धमकी में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि आपको केवल ताली बजानी है। नारे केवल दो ही लगेंगे। नागर ने कहा कि हर कोई इस बात का ध्यान रखे कि आपके पड़ोस में बैठा कोई भी व्यक्ति किसी और के नारे नहीं लगाए। अगर ऐसा हो तो बता दें, नहीं तो पड़ोसी न्यूसेंस करता है और दूसरा आदमी उसकी लपेटे में आ जाता है। नागर ने कहा कि 24 साल से मेरे किसी कार्यक्रम में कभी अनुशासनहीनता नहीं हुई, ना ही मैं बर्दाश्त करता हूं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम में आने से पहले नागर इस बात की तैयारी करते दिखाई दिए कि किसी तरीके की नारेबाजी ना हो।

नागर का डर इसलिए भी है, क्योंकि दूदू विधानसभा में सचिन पायलट के समर्थक बड़ी तादाद में हैं। खुद बाबूलाल नागर भी हर कार्यक्रम में सचिन पायलट की तस्वीर लगाते हैं। शायद इसीलिए बाबूलाल नागर को डर था कि कहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने नारेबाजी की कोई घटना ना हो जाए।

गहलोत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके साथ ही, ए.आई.सी.सी. में एक नई अफवाह और पैदा हो गई है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियाँ शीघ्र ही यह प्रस्ताव पारित करेंगी कि सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना रहना चाहिए।

चांदना ने दोहराया, सचिन पायलट के इशारे पर हुआ पुष्कर जूता काण्ड

चांदना ने कहा, यह पूर्व नियोजित नहीं होता, तो ऐसे मंच पर किसी की हिम्मत नहीं, कि कोई आम आदमी जूता फेंक दे

- **मंत्री सुखराम बिश्नोई बोले, भाजपा वाले जहां भी जाते हैं अशांति फैलाते हैं।**
- **अस्पतालों के रवैए के विरोध में धरने पर बैठी कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के धरने का मंत्री सुखराम बिश्नोई ने समर्थन किया।**

जयपुर, 13 सितम्बर (का.प्र.)। पुष्कर में दिवंगत कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में मंत्री अशोक चांदना और शकुंतला रावत पर जूते-चप्पल फेंके जाने की घटना को मंत्री सुखराम बिश्नोई ने भाजपा की साजिश करार दिया है। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि, इस घटना में बीजेपी के लोगों का हाथ है, बीजेपी के लोग जहां भी जाते हैं, वहां पर अशांति फैलाते हैं। दूसरी ओर बूंदी पहुंचे अशोक चांदना ने एक बार फिर दोहराया है कि जो लोग सचिन पायलट के नारे लगा रहे थे उन्हीं लोगों ने जूते फेंकने की घटना को अंजाम दिया है, यानी कि यह सब कुछ पहले से पूर्व नियोजित था।

मंत्री सुखराम बिश्नोई ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, कांग्रेस में कोई गुटबाजी या खेमेबाजी नहीं है। कल जो पुष्कर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं। सुखराम बिश्नोई ने कहा कि, जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में भी सतीश पूनिया के साथ कई नेता थे, लेकिन बाद में उनको अकेले ही पद यात्रा निकालनी पड़ी यह बीजेपी में अन्तर कलह का ही परिणाम है।

उधर पुष्कर की घटना को लेकर मंत्री अशोक चांदना ने एक बार फिर कहा कि, हम सरकार में हैं और कई जगह ऐसे विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से पूर्व नियोजित तरीके से जूते फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। चांदना द्वारा सचिन पायलट का नाम लिए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर चांदना ने कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग सचिन पायलट के नारे लगा रहे थे, उन्हीं लोगों की ओर से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जब मंच पर समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सरकार के मंत्री विधायक बैठे हैं, तब इस तरह की घटना होना दर्शाता है कि, यह सब कुछ पूर्व नियोजित था। उन्होंने कहा कि, अगर यह पूर्व नियोजित नहीं होता, तो ऐसे मंच पर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आम आदमी जूता फेंक दे। जिन्होंने यह किया या करवाया है उन लोगों से पूछा जाना चाहिए

दूसरी तरफ जोधपुर में चिरंजीवी योजना को लेकर निजी अस्पतालों के रवैए के विरोध में धरने पर बैठी कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के धरने का मंत्री सुखराम बिश्नोई ने समर्थन किया है। सुखराम बिश्नोई ने कहा कि, दिव्या मदेरणा की मांगें वाजिब हैं। बिश्नोई ने कहा कि, निजी अस्पतालों को सरकार ने चिरंजीवी योजना से जोड़ा है और इलाज के पैसे भी सरकार दे रही है तो लोगों को सुविधा देने से निजी अस्पतालों को इंकार नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल को लेकर मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हाल ही में कह चुके हैं कि, जो आलाकमान का फैसला होगा मंजूर होगा, इसलिए इसका फैसला जल्द हो जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी की ओर से सवाल खड़े करने पर उन्होंने कहा कि, बीजेपी के लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। राहुल गांधी की टी-शर्ट 40 हज़ार की नहीं बल्कि 5000 की है। मुख्यमंत्री ने सही कहा है कि, अमित शाह 80000 का मफलर पहनते हैं।

इससे पहले मंत्री सुखराम बिश्नोई ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया।

कोर्ट में मां-बाप पलटे, डीएनए रिपोर्ट से मिली सजा

भिवाड़ी में नाबालिग से रेप के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा व दस हजार रू. के जुर्माने की सजा सुनाई

- **हालांकि हैरानी का बात यह रही कि, पीड़िता व माता-पिता रेप होने की बात से अदालत में मुकर गए थे।**
- **लेकिन कोर्ट ने इसके बावजूद भी मैडिकल व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।**

अलवर, (निसं)। अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा व 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि, पीड़िता व उसके माता-पिता ट्रायल के दौरान खुद के बयानों से ही पलट गए। लेकिन कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट व डीएनए के सबूतों के आधार पर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक ने मां-बाप व नाबालिग के बयान बदलने को बड़ा विचित्र माना।

अलवर पॉक्सो अदालत नंबर 3 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में किराएदार को मंगलवार को 20 साल की कठोर कारावास और दस हजार के जुर्माना से दंडित किया। पॉक्सो अदालत नंबर तीन के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि, 20 जून 2019 को भिवाड़ी थाने में परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, उसकी बहन रात 1:30 बजे बाथरुम के लिए बाहर गई थी। लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद बाहर आकर देखा तो किरायदार श्याम पुत्र रामनाथ कुम्हार, निवासी उत्तर प्रदेश, रेप करते हुए पाया गया। परिवार के लोगों को पता चलते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद नाबालिग के मां-पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विशिष्ट न्यायाधीश सोहन लाल शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी श्याम को 20 साल की कठोर कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

जमानत मिली, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कप्पन अक्टूबर, 2020 में गिरफ्तार किये जाने के बाद, जेल में डाल दिये गये थे। गिरफ्तार किये जाते समय, वे उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहे थे, जहाँ एक दलित महिला की गैंग-रेप की वजह से मृत्यु हो गई थी।

डी.जी. जेल पी.आर.ओ. सन्तोष वर्मा ने लखनऊ में एक समाचार एजेंसी को बताया, "कप्पन जेल में ही बने रहेंगे, क्योंकि एक केस, जिसकी जाँच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है, अभी विचाराधीन है।" कप्पन की रिहाई के आदेश देते हुये, ऐडिशनल सैशन जज (ए.एस.जे.) अनुरोध मिश्रा ने कप्पन को निर्देश दिये थे कि वे एक-एक लाख रू. की जमानत वाले दो स्थानीय जमानतदारों, तथा इतनी ही राशि के पर्सनल बॉन्ड की व्यवस्था करें।

कप्पन लखनऊ के रहने वाले नहीं हैं, और न वे इस केस में जमानत के लिये स्थानीय जमानतदारों की व्यवस्था ही कर पा रहे हैं, जिसके लिये लखनऊ के जज ने उन्हें उस केस में आदेश दिये थे, जो केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) ने उनके खिलाफ दर्ज कराया था। उनके लखनऊ के वकील ने कहा कि ई.डी. केस से निबटने से पहले, वे इस केस में जमानतदारों की व्यवस्था करने के लिये हाथ-पैर मार रहे हैं।

जज ने पत्रकार कप्पन से ऐसा लिखित आश्वासन भी चाहा है कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन पर लगाई शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे। कप्पन, तीन अन्य लोगों-अतीकुर रहमान, आलम तथा मसूद के साथ मथुरा में गिरफ्तार किये गये थे।

उन पर आरोप लगाया था कि पॉपुलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया के साथ कथित तौर पर उनके सम्बन्ध हैं तथा वे हिंसा भड़काने की साजिश का हिस्सा हैं। वे इन्डियन पेनल कोड (आई.पी.सी.) अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रीवेंशन) एक्ट तथा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (आई.टी.) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किये गये थे।

'जनता के पैसे से एक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस मुद्दे पर भाजपा को निशाना बना रहे हैं।

किन्तु यह बात अभी भविष्य के गर्भ में है कि एक चुनावी मुद्दे के रूप में कर्नाटक में इसका क्या असर होता है लेकिन यह मुद्दा राजनैतिक लाभ का कारण तो बन ही सकता है।

कुमारास्वामी ने किसी राजनैतिक दल का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया है लेकिन यह साफ है कि इस सब का लक्ष्य कौन है।

और कुमारास्वामी के पत्र का इच्छित असर हो गया है। पत्र के चन्द मिनट बाद ही, कर्नाटक के शिक्षामंत्री बी.सी.नागेश ने कहा, "दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति, जो स्वयं मुख्यमंत्री, तथा जिसके पिता प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस तरह की बात कह रहा है। हिन्दी दिवस 1949 से ही मनता चला आ रहा है और अगर अब, इतने लम्बे समय बाद, इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका विशुद्ध उद्देश्य राजनैतिक लाभ लेना है। अगर वे सैद्धान्तिक रूप से हिन्दी दिवस के आयोजन के खिलाफ हैं, तो उन्हें इसे उसी समय रोक देना चाहिये था, जब देवगोड़ा प्रधानमंत्री थे।"

कर्नाटक के मन्त्री ने इस तथ्य को भी दोहराया कि हिन्दी दिवस आयोजन की शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में, हिन्दी किसी पर भी नहीं थोपी जानी चाहिये। लेकिन उन्होंने यह बात कहा कि हिन्दी दिवस को राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि हिन्दी दिवस हमेशा की तरह ही मनाया जायेगा।

लेकिन रोचक बात यह है कि कुमारास्वामी के रूख का कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष समर्थन किया, जो कि एक राष्ट्रीय दल होने के नाते, भाषाई मुद्दो पर बहुत सावधानी पूर्वक अपना रूख व्यक्त करती है। कांग्रेस नेता प्रियांक खर्गे ने कहा कि एक भाषा के रूप में, हिन्दी के खिलाफ कोई भी नहीं है,

लेकिन उस समय लोगों की भावनाएं उग्र हो जाती हैं, जब उन्हें किसी भाषा के उपयोग के लिये बाध्य किया जाता है तथा वे इसकी जरूरत महसूस नहीं करते। यह तय है कि जनता दल (एस) इस मुद्दे को बार-बार, तथा खासतौर से, जल्दी ही शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में उठायेगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण के क्षेत्रीय दलों ने भाषा के मुद्दे को एक ऐसे मुद्दे के रूप में चिन्हित कर लिया है, जो साफतौर से भाजपा से जुड़ा हुआ है। ये दल चुनाव से पहले जब-तब इसका उपयोग करते रहना चाहेंगे ताकि इस विषय पर लोगों की भावनाएं उभारी जा सकें।

जनता दल के प्रवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि कुमारास्वामी 6.4 करोड़ कर्नाटकवासियों की भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे थे, जिन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व हैं। केन्द्र सरकार द्वारा हम पर हिन्दी को थोपा जाना पूरी तरह अनावश्यक है। उन्होंने कहा, "हम हर भाषा का सम्मान करते हैं लेकिन किसी भाषा को थोपे जाना का हमारी संघीय व्यवस्था पर बना विनाशकारी प्रभाव होगा।

'नारे से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी ने इन दो के अलावा तीसरा नारा लगाया तो पुलिस उठा ले जाएगी। बंद कर देगी और केस लग जाएगा। बाद में मुझे मत कहना।" इस पर शेखावत ने कहा कि "ये कौन सा कानून है, जिसमें राजीव गांधी और अशोक गहलोत के अलावा किसी और के नाम के नारे लगाने पर पुलिस पकड़कर केस बना देगी?" केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अपने ही कार्यकर्ताओं को पुलिस का डर दिखा कर क्या हासिल हो जाएगा? यहां नहीं तो कहीं और नारे लगेंगे। खेल मंत्री अशोक चांदना के जूता फिंकवाने वाले ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "मैंने तो पहले ही कहा था कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। आज जूते चले हैं, कल कपड़े फटेंगे।"

चुनाव लड़ना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी लगा दिया।

जब सिंह को, बिना किसी प्रस्ताव के, राज्यसभा के लिये पर्चा नहीं भरने दिया था, तो वे पहले तो दिल्ली उच्च न्यायालय गये थे तथा उन्होंने राज्य सभा चुनावा के लिये चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उन की इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के उनके मौलिक अधिकार तथा निजी स्वतन्त्रता के उनके अधिकार का अतिक्रमण हुआ हैं।

केजरीवाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खाना खाया था। वर्ष 2016 में उन्हें कतर की राजधानी दोहा में एक मैडिकल कैम्प में भारतीय कामगारों के साथ खाना खाया।

उसी वर्ष मोदी रियाद में काम कर रहे एल.टी. कर्मचारियों के आवासीय कॉम्प्लैक्स में गए और उनके साथ चाय पी। यू.पी. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अमरोहा के मेहंदीपुर गांव दलितों के साथ खाना खाया था। ऐसे प्रकरणों की लिस्ट बहुत लम्बी है।

बंगाल में भाजपा और तृणमूल के बीच हिंसक टकराव, कई भाजपाई गिरफ्तार

- **शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के मार्च के दौरान तृणमूल और भाजपा के कार्यकर्ता व नेताओं की बीच कई जगह झड़पें हुईं।**

कोलकता, 13 सितम्बर। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के मार्च के दौरान जमकर हंगामा मचा हुआ है। कई जगह पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने मार्च निकाल रहे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, सांसद लोकेट चटर्जी और पार्टी नेता राहुल सिन्हा को हिरासत में लिया है। इसके अलावा कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। सांतरागाछी के बाद हावड़ा में भी पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हुई। हावड़ा में बीजेपी समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी से बौछार कर उन्हें तितर-बितर किया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। नबन्ना चलो अभियान के तहत बंगाल में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहा है।

बीजेपी का नबन्ना चलो अभियान (सचिवालय तक मार्च) धीरे-धीरे हिंसक रूप लेते जा रहा है। कोलकाता में बीजेपी समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने पहले पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसके बाद उसमें आग लगा दी। हालांकि, बाद में दमकल की मदद से आग बुझाई गई। इस बीच, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। मार्च के दौरान बीजेपी समर्थकों ने पुलिस पर ईंट और पत्थरबाजी भी की। वहीं, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया है। हावड़ा में कई जगहों पर बमबारी की घटना सामने आ रही है। संतरागाछी में तनाव का माहौल बना हुआ है।

इससे पहले पुलिस ने बीजेपी के चार कार्यकर्ताओं को पश्चिम बर्दवान जिले के पानागढ़ रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया, जब वे बंगाल बीजेपी के नबन्ना सचिवालय तक मार्च की ओर जा रहे थे। रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प होने की खबर है। पुलिस ने बीजेपी के कई नेताओं के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है।

श्रीलंका को आँख दिखाई भारत ने

नई दिल्ली, 13 सितम्बर। कर्ज में गले तक डूबे श्रीलंका के बुरे वक्त में भारत ने पड़ोसी देश का फर्ज निभा रहा है लेकिन, तमिल भाषायी लोगों के प्रति श्रीलंकाई सरकार के रुख पर अब भारत ने सख्ती दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सत्र में भारत ने तमिल अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के मुद्दे पर श्रीलंका को खरी-खरी सुना डाली। यहां यह जानना जरूरी है कि वैश्विक मंच पर भारत ने इस मुद्दे पर श्रीलंका के प्रति पहली बार ऐसा रुख अपनाया है। भारत सरकार की यह प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में आपत्ति जताने के बावजूद श्रीलंका की धरती में चीन का खुफिया जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह में उतरा था। यह ऐसे वक्त में हुआ है जब गृहयुद्ध की चपेट में श्रीलंका के खाने के लाले पड़े।

मुकुल रोहतगी दूसरी बार ऐडवोकेट जनरल...

- **उनके प्रमुख प्राइवेट क्लाइन्ट्स में अनिल अम्बानी, जयललिता, रॉबर्ट वाड्रा व शाहरूख खान के पुत्र आर्यन खान, मुम्बई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह शामिल हैं।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2017 को ए.जी. बने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2015 में नैशनल जूडिशियल अपॉइन्टमैन्ट्स कमीशन (एन.जे.ए.सी.) का खारिज होना रोहतगी के लिए एक ऐसा दण्ड बन गया जिसकी सजा भुगतना जरूरी था। बताया जाता है कि तब उन्हें अटॉर्नी जनरल का पद छोड़ने के लिए कह दिया गया था क्योंकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह एक ऐसा पहला प्रमुख केस था जिसे एन.डी.ए. सरकार हारी थीं।

संवैधानिक विधि के विशेषज्ञ वेणुगोपाल को उनके तीन वर्ष कार्यकाल के अलावा एक-एक वर्ष का दो बार एक्सटैंशन दिया गया। इस वर्ष के जून माह में उनके कार्यकाल को तीन महीनों के लिए और बढ़ाया गया ताकि सरकार इस पद के लिए कोई नया चेहरा ढूंढ सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को गत सप्ताह बताया था कि उनका कार्यकाल 30 सितम्बर को समाप्त हो रहा है।

विधिक हलकों में अटकलें थीं कि अटॉर्नी जनरल का पद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मिल सकता है क्योंकि वह गुजरात के निवासी हैं और प्रधानंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के साथ उनके समीकरण अच्छे हैं। इसके अलावा अधिकांश केसों में, चाहे वे सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के, मेहता ने निरपवाद रूप से केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। अत: सभी का मानना था कि उनकी पदोन्नति तय है।

मुम्बई से एल.एल.बी. रोहतगी ने मुम्बई के गवर्नमैंट लॉ कॉलेज से एल.एल.बी. की, फिर वे दिल्ली आ गए यहां वे योगेश कुमार सबरवाल के चैम्बर्स में पेशेवर वकील बने। सबरवाल फिर आगे जाकर भारत के 36वें चीफ जस्टिस बने थे।

रोहतगी को राजनीतिक, संवैधानिक और कॉरपोरेट अभियोजन को लेकर विधिक बिरादरी में सम्मान आदर प्राप्त है।

वर्ष 1999 में वाजपेयी सरकार के दौरान उन्हें पांच वर्ष के लिए देश का एडीशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति की वजह से वे मुम्बई से शिफ्ट होकर सुप्रीम कोर्ट आए। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में वर्ष 1993 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था।

रोहतगी वकीलों व कानून विदों के परिवार से आते हैं। उनके स्वर्गीय पिता जस्टिस अवध बिहारी रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एवं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज थे। उनकी पत्नी वसुधा रोहतगी भी एक दक्ष वकील हैं, लेकिन घर की देखभाल के कारण उन्होंने यह पेशा छोड़ दिया है। वह सीनियर एडवोकेट स्व. जी. एल. सांघी की पुत्री हैं। रोहतगी के दो पुत्र हैं- निखिल और समीर, जो दोनों ही वकील हैं और विवाहित हैं।

प्रमुख केस: रोहतगी ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों और फर्जी मुठभेड़ केसों में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। भारत 14वें अटॉर्नी जनरल के अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने तीन तलाक, आधार को चुनौती और आपराधिक अवमानना जैसे महत्वपूर्ण केसों में केन्द्र सरकार को सफलतापूर्वक बचाया था। उन्होंने नोटबंदी नीति में भी सरकार का बचाव किया था। उनके हाई प्रोफाइल क्लाइन्ट्स में अनिल अंबानी, जिसमें अंबानी भाईयों के बीच गैस विवाद था, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार का केस था और अडानी और रॉबर्ट वाड्रा जैसे बड़े कारपोरेट्स हैं। 2जी घोटाले में वे वाड्रा के वकील थे।

वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने जज बी.एच. लोया की मौत के केस में रोहतगी को विशेष अभियोजक नियुक्त किया था और उन्हें भारी-भरकम 1.20 करोड़ की फीस दी थी। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रति सुनवाई की वे 20 से 35 लाख रूपए फीस लेते हैं। उनका एक अन्य हाई प्रोफाइल केस बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरूख खान के पुत्र आर्यन को क्रुज ड्रग्स केस में जमानत दिलवाना है। रोहतगी ने यह केस 28 अक्टूबर 2021 को जीता था। वे खान की लीगल टीम का हिस्सा थे। इस टीम के अन्य सीनियर एडवोकेट्स में सतीश मानशिंदे भी शामिल थे।

उन्होंने मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह का केस भी लड़ा था। सिंह ने स्वयं की छवि धूमिल करने के मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने कथित जालसाजी के एक केस में कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल बी.एस. येदियुरप्पा की भी वकालत की थी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908